[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड- (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
******

अधिसूचना

सं. 68 /2018 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त,2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स (क्लियरेंस) रेग्युलेशन, 1998 में और आगे भी संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स (क्लियरेंस) अमेंडमेंट रेग्युलेशन, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पोर्ट्स रेग्युलेशन (क्लियरेंस), 1998 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त रेग्युलेशन से संदर्भित किया गया है) में, विनियम 2 में, उपविनियम (2) में, उपवाक्य (ङ) में,-

(i) उप- उपवाक्य (iii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि यह उपवाक्य 5 लाख रूपये मूल्य तक के खेप में और विदेशी मुद्रा में होने वाले संव्यवहार में मेर्केंडाइस एक्सपोर्ट फ़्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट 3 ग में अधिसूचित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।",

(ii) उप- उपवाक्य (v) में, शब्द "पच्चीस हज़ार" के स्थान पर शब्द "पाँच लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त- विनियमावली में, विनियम 6 में, उप विनियम (3) में, पहले परंतुक में शब्द "पच्चीस हज़ार" के स्थान पर शब्द "पाँच लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा सं.450/4/2013- सीमा शुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 87/98-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 को सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 66/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2017 सा.का.नि. 811 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संसोधन किया गया है।